फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री फरीद शेख पिता अब्दुल रहमान मुसलमान निवासी मस्जिद के पास, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 114/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल का सूचना पत्र बाद/अदम तामील प्राप्त नहीं। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 13946–48 दिनांक 31.07.2017 से गैरसायल श्री फरीद शेख पिता अब्दुल रहमान मुसलमान निवासी मस्जिद के पास, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ थाना सदर, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत पेश किया गया। जिस पर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को दिनांक 22.09.2017, 12.12.2017, 30.01.2018, 22.05.2018, 13.08.2019 04.02.2020, 03.03.2020, 30.03.2021, 03.08.2021, 15.09.2021 को सूचना पत्र जारी कर वास्ते तामीलन थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को कुल 10 बार प्रेषित किये गये जो उनके द्वारा नोटिस दिनांक 22.09.2017, 30.01.2018, 13.08.2019, 04.02.20, 03.03.2020 एवं 30.03.2021 बाद/अदम तामील वापस प्रस्तुत ही नहीं किये तथा नोटिस दिनांक 12.12.2017, 22.05.2018, 03.08.2021 एवं 15.09.2021 अदम तामील पेश किये। पुनः दिनांक 20.04.2022 को जमानती वारण्ट जारी कर भिजवाने पर उक्त जमानती वारण्ट भी बाद/अदम तामील वापिस पेश नहीं किया। उसके पश्चात् प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ से स्थानान्तरण होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः गैरसायल की उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिनांक 13.06.2024 एवं 25.07.2024 जारी किया जाकर तामीलन थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किये किन्तु उक्त सूचना पत्र भी थानाधिकारी, थाना सदर से बाद/अदम तामील पुनः न्यायालय में प्राप्त नहीं हुए। थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को गैरसायल की उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी कर तामील कराने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए जरिये पत्रांक 563 दिनांक 19.12.2024 (पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक,	.....लगातार

	जिला चित्तौड़गढ़ को भी पृष्ठांकित की) से लिखे जाने पर भी उनके द्वारा ना तो उक्त पत्र का कोई जवाब प्रेषित किया तथा ना ही उक्त सूचना पत्र भी बाद/अदम तामील न्यायालय में पेश किया। इस प्रकार इतने सूचना पत्र जारी करने पर भी गैरसायल की उपस्थिति थानाधिकारी सदर, चित्तौड़गढ़ सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैरसायल के विरूद्ध कुल 08 प्रकरण पंजीबद्ध होकर 01 में सजा, 01 में दोषमुक्त एवं 04 प्रकरण जैरट्रायल होने का उल्लेख है किन्तु जिस प्रकरण में सजा होना बताया है उसके निर्णय की प्रति इस्तगासे में संलग्न नहीं है तथा अंतिम प्रकरण वर्ष 2017 में पंजीबद्ध होना अंकित है। इस वर्ष के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण अंकित नहीं है। गैरसायल की उपस्थिति बाबत कुल 14 बार नोटिस/सूचना पत्र जारी किये किन्तु थानाधिकारी, थाना सदर द्वारा 04 बार नोटिस/सूचना पत्र अदम तामील पेश किये की गैरसायल बाहर गया है फरार चल रहा है, अपने पैतृक गांव गया है जिसका कोई अता–पता नहीं है एवं 02 माह से उदयपुर में मजदूरी कर रहा है तथा 10 बार तो सूचना पत्र बाद/अदम तामील पुनः न्यायालय में पेश ही नहीं किये गये अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर ही नहीं है। मुख्य रूप से जब गैरसायल थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में यहां निवास नहीं कर रहा है। उसका कोई अता–पता नहीं चल पा रहा है जिसका सही पता मालूम ही नहीं है तथा वह सकूनत से बाहर चल रहा है और ना ही उसका नोटिस/सूचना पत्र पुलिस विभाग द्वारा लगभग पिछले 08 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी तामील कराया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार किए बिना इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 खारिज किया जाता है। यदि गैरसायल सकूनत पर वापस आवे और आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से लिप्त पाया जावे तो नियमानुसार नये सिरे से इस्तगासा पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।	